न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 78/2019/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. देवी सिंह चौहान पुत्र श्री कान सिंह चौहान उम्र 52 वर्ष जाति दरोगा (रावणा राजपूत) निवासी कोछोर तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—आवेदक

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

—अनावेदक

आवेदन बाबत रिकॉर्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

उपस्थिति—

1. श्री आशीष शर्मा, वकील प्रार्थी ओर सें।

निर्णय **दिनांक — 17.10.2019**

1. यह है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1718 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1723/2694 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1724 रकबा 1.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 हैक्टर तन ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। उक्त भूमियों में आवेदक का 1/2 हक हिस्सा है। जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी से प्रमाणित है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में उक्त खातेदारी आवेदक के नाम देबूराम पुत्र काना जाति दरोगा के नाम से दर्ज है। यह है कि आवेदक व उसके पिता का सही व वास्तविक नाम देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह चौहान है। आवेदक व उसके पिता का सही व वास्तविक नाम देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह चौहान है जो कार्यालय ग्राम पंचायत कोछोर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भारत सरकार द्वारा जारी पेन कार्ड, में आवेदक व उसके पिता का नाम देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह चौहान दर्ज है। यह है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में राजस्व अधिकारियो एवं कर्मचारियो की गलती से आवेदक व उसके पिता का नाम देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

चौहान की जगह देबूराम पुत्र काना दर्ज हो गया है, जो गलत है। देबूराम पुत्र काना की जगह आवेदक व उसके पिता का सही नाम देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह चौहान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाकर तदनुसार संशोधन के आदेश पारित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। आवेदक व उसके पिता का नाम राजस्व कर्मचारियो की लापरवाही से देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह चौहान के स्थान पर देबूराम पुत्र काना दर्ज हुआ है। जो गलत है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि आवेदक व उसके पिता का सही व वास्तविक नाम देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह है। तथा देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह चौहान व देबूराम पुत्र काना एक ही व्यक्ति है। जो संशोधन किये जाने योग्य है।अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 1718 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1723/2694 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1724 रकबा 1.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 हैक्टर तन ग्राम कोछोर पटवार हल्का कोछोर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक व उपके पिता का नाम देबूराम पुत्र काना के स्थान पर आवेदक व उसके पिता का सही व वास्तविक नाम देवी सिंह चौहान पुत्र कान सिंह चौहान दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में संशोधन के आदेश पारित किये जावे।

2. आवेदन पेश होने पर अनावेदक तहसीलदार दांतारामगढ को जरिये नोटिस तलब किया जाकर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार दांतारामगढ सें रिपोर्ट प्राप्त हुई तथा आवेदन पर वकील आवेदक की बहस सुनी गई।

3. वकील प्रार्थी/आवेदक की बहस पर मनन किया गया एवं आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दांतारामगढ का अधोपांत अवलोकन किया गया जिसके अनुसार " ग्राम कोछोर के खसरा नम्बर 1718, 1723/2694, 1724 में दूबूराम पु0 काना दर्ज है। जमाबंदी संवत 2041–44 में आवेदक के पिता का नाम जरिये विरासत ना0 सं0 341 के द्वारा खाते में नाम देबूराम पि0 काना जाति दरोगा दर्ज है जबकि आवेदक के सभी दस्तावेजों

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

आधारकार्ड, राशनकार्ड आदि में तथा कोछोर ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र में देवी सिंह पु0 कानसिंह दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेज के आधार, भूमि विरासत सें प्राप्त होने पर आवेदक का नाम देवीसिंह पु0 कानसिंह दर्ज बाबत तथ्यात्मक रिपोर्ट अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है।'' प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **प्रार्थी/आवेदक का आवेदन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्रम कोछोर की भूमि भूमि खसरा नम्बर 1718 रकबा 1.10 हैक्टर, खसरा नम्बर 1723/2694 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 1724 रकबा 1.17 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 हैक्टर में आवेदक व उसके पिता का नाम देबूराम पु0 काना के स्थान पर देवी सिंह चौहान पु0 कान सिंह चौहान जाति दरोगा निवासी कोछोर तह0 दांतारामगढ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** तदनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2019 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner